

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/ दिनांक

आदेश

श्री सुभाष चन्द आर्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड, अलवर जिनकी जन्म तिथि 07.03.1960 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2020 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द आर्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(गुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक 11/09/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/1903

प्रतिलिपि भिन्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
- 3 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड, अलवर।
- 4 प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
- 5 श्री सुभाष चन्द आर्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सूचनार्थ।
- 6 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर